Hindustan (Hindi Edition of Hindustan Times) – 06-Jan-2007

प्रवासी भारतीयों ने की दहेज विरोधी कानून में संशोधन की मांग

प्रवासी भारतीयों ने दहेज विरोधी कानून (आईपीसी की धारा 498ए) में संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों को जानबूझ कर इस धारा का शिकार बनाया जा रहा है। दहेज विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस तक जारी कर दिया जाता है। इस कारण उन्हें नौकरी करने तक में परेशानी हो रही है। वे डर के मारे भारत भी नहीं लौट पाते हैं। उन्हें इस बात की आशंका रहती है कि भारत पहुंचते ही उनके पासपोर्ट को सीज कर लिया जाएगा। शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों ने टेलीकांफ्रेंसिंग के जरिए अपने दर्द को बयां किया। इस मौके पर 498 ए से पीड़ित कई दूसरे लोग भी मौजूद थे। उन्होंने भी मीडिया के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई। इन लोगों ने 498ए.ओआरजी पर दहेज कानून के सताए लोगों के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है। प्रवासी भारतीयों की प्रवक्ता डा. अनुपमा सिंह के मुताबिक अगर कोई भारतीय विदेश में बस गया है और शादी करके वहां रह रहा हो तो उस पर दहेज विरोधी कानून लागू नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि अधिकतर मामलों में प्रवासी भारतीयों से पैसे ऐंठने के लिए महिलाएं इस कानून का इस्तेमाल करती है। उनकी यह भी मांग है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के खिलाफ इस मामले में कोई एलओसी (लुकआउट कार्ड) जारी नहीं होनी चाहिए। ताकि वे भारत पहुंचते ही एयरपोर्ट पर अपनी गिरफ्तारी से बच सके। उन्होंने काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2005 में 498ए के तहत दर्ज 90 फीसदी मामलों में अभियुक्त को छोड़ दिया गया। क्योंकि शिकायतें झूठी पाई गईं। न्यूयार्क में रह रहे सत्या ने टेलीकांफ्रेंसिंग के जरिए बताया कि वह प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेना चाहते। उन्हें डर है कि भारत आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके मुताबिक 498 ए के तहत मुकदमा झेल रहा कोई भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेना चाहता।